



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
SHRI LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL SANSKRIT UNIVERSITY
A Central University established by an Act of Parliament

क्रमांक:एफ(111)/ला.बा.श.रा.सं.वि./सा.प्रा./2021-22/7/6

दिनांक: 25/11/2021

कार्यालय आदेश

सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार दिनांक 26.11.2021 को संविधान दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में संविधान दिवस-2021 का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा एवं विवरण निम्नलिखित है :-

क्रमांक	दिनांक एवं समय	कार्यक्रम	स्थान
01	26/11/2021 प्रातः 11:00 बजे	शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना।	संबंधित अनुभागों/ विभागों में

कोविड -19 महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और भीड़ के जमावड़े से बचने के लिए सभी कर्मचारियों को सलाह दी जाती है की वे अपने सम्बंधित अनुभागों / विभागों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ें।

सभी विभागाध्यक्षों / अनुभागीय प्रमुखों से अनुरोध है कि वे संबंधित कार्यक्रम के चित्रों व वीडियो रिकॉर्डिंग को श्री रोहित वशिष्ठ, बहुकार्य कर्मचारी के व्हाट्सएप नंबर (9717080932) पर भेजें ताकि संबंधित चित्रों व वीडियो रिकॉर्डिंग को समयानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु मंत्रालय को प्रेषित की जा सके।

यह कार्यालय आदेश सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

जे. पी. सिंह
25/11/21

(जे. पी. सिंह)

सहायक कुलसचिव (सा. प्र.)

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. समस्त संकाय प्रमुख/ विभागाध्यक्ष
2. ओ.एस.डी (परीक्षा)
3. मुख्य सतर्कता अधिकारी/ कुलानुशासक/ छात्रावास अधिष्ठाता
4. उप-कुलसचिव (लेखा)/ उप-कुलसचिव (परीक्षा)
5. अधिशासी अभियंता
6. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित कर, समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को एस.एम.एस./ व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करें।
7. सहायक पुस्तकालायध्यक्ष
8. समस्त सहायक कुलसचिव
9. माननीय कुलपति/ कुलसचिव के निजी सचिव

कृ.पू.उ

10. समस्त अनुभाग अधिकारी
11. संबंधित पत्रावली
12. कार्यालय आदेश पत्रावली

जे. पी. सिंह
25/11/21

(जे. पी. सिंह)

सहायक कुलसचिव (सा. प्र.)

संलग्न: संविधान की प्रस्तावना

क्र.सं.	विषय	प्रस्तावना
1	संविधान की प्रस्तावना	संविधान की प्रस्तावना

भारत का संविधान

उद्देशिका।

हम, भारत के लोग, भारत को एक [सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त करने के लिए,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और [राष्ट्र की एकता और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

हम दृढ़संकल्प होकर इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं।